न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 252/2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. शान्ति पत्नी लुणाराम 2 भूरीदेवी पत्नी खेताराम जाति मेघवाल निवासी करनपूरा (महाबार) तहसील व जिला बाडमेर।		1 नारणाराम 2 गुणेशाराम पिसरान धीराराम 3 हमीराराम पुत्र हिम्मताराम 4 रावताराम 5 टाऊराम पिसरान नीम्बाराम 6 राणी पत्नी नीम्बाराम 7 उदाराम 8 रूपाराम 9 बगताराम पिसरान मंगलाराम 9 सुगणी पत्नी भीमाराम जाति मेघवाल निवासी करनपूरा महाबार 11 कुम्पसिंह 12 प्रेमसिंह 13 मुल्तानसिंह पिसरान सुजानसिंह 14 बलवन्तसिंह 15 जेतसिंह 16 उगमसिंह पिसरान मंगलसिंह 17 सवाईसिंह पुत्र शैतानसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता लीलाकंवर पत्नी शैतानसिंह 18 लीलाकंवर पत्नी शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी करनपूरा (महाबार) तहसील व जिला बाडमेर 19 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री मुकेश जैन वकील प्रार्थीगण।
2. श्री बांकाराम चौधरी, वकील अप्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 15/07/22

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा करनपूरा पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 289 रकबा 15.00 बीघा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की आई हुई है। प्रार्थीगण की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 10 के खसरा संख्या 288 व अप्रार्थी संख्या 11 से 18 के खसरा संख्या 276 में से रास्ते से सरकारी रास्ते तक जाने का एक–मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 01 से 18 की भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण जवाब प्रस्तुत नही करना चाहते है। प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार बाडमेर से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक राजस्व/2022/1357 दिनांक 07.07.2022 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि मौजा करनपुरा पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 289 रकबा 15.00 बीघा से डामर सड़क तक आने–जाने हेतु मौके पर रास्ते से लगता नही है तथा प्रार्थीगण के खेत तक आने–जाने हेतु खसरा संख्या 276 व 288 में से 20 फीट (3 गट्ढा) का रास्ता प्रस्तावित किया है :–

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	रास्ता लम्बाई/चौड़ाई	प्रस्तावित मार्ग का रकबा	डीएलसी दर की दुगनी राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	कुंपसिंह प्रेमसिंह मुल्तानसिंह पिसरान सुजानसिंह 1/2 बलवन्तसिंह जेतमालसिंह	276	15.8151 हैक्टयर	90 X 3	0.14 (0.1133 हैक्टयर)	260050.00

उपखण्ड अधिकारी बाडमेर

	उगमसिंह पिसरान मंगलसिंह सवाईसिंह वल्द शैतानसिंह ना.बा. की वली माता लीलाकंवर लीलाकंवर पत्नी शैतानसिंह 1/2 कौम राजपूत सा. देह खातेदार					
2	नारणा गुणेशा पिसरान धीरा रावताराम भारमलराम टाऊराम पिसरान नींबाराम राणीदेवी पत्नी नींबाराम हमीरा वल्द हिमता ऊदा वल्द मंगला सुगणी पत्नी भीमा रूपा बगता पिसरान मंगला जाति भांभी सा. देह खातेदार	288	3.5774 हैक्टयर	86 X 3	0.13 (0.1052 हैक्टयर)	146478.00

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि तहसीलदार बाडमेर द्वारा मौके का प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया है वह उन्हे स्वीकार है तथा प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौके का प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध करवाया है वह उन्हे स्वीकार है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात एवं पत्रावली के अवलोकन एवं तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण का अपनी कृषि जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। आवेदन स्वीकार योग्य है।

अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में आवेदन स्वीकार किया जाता है। मौजा करनपूरा पटवार क्षैत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 289 रकबा 15.00 बीघा भूमि भूमि में से रास्ते हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 18 की भूमि में से सरकारी मार्ग तक जाने हेतु रकबा 0.13 बीघा जो संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में बरंग लाल दर्शाई गई है। तहसीलदार बाडमेर उक्तानुसार राशि रू. 406528.00 प्रार्थीगण से राजकोष में जमा करावे। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा करवाने पर तहसीलदार बाडमेर राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा अप्रार्थी 01 से 18 को नियमानुसार भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 15/07/22 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर